राजस्व निगरानी संख्याः 12/2016

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
02.1.2018	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार, शिवगंज की ओर से पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही) उपस्थित। प्रार्थी तहसीलदार, शिवगंज द्वारा अप्रार्थी खंगाराराम पुत्र नरसाजी, जाति- मीणा, निवासी- खेजडिया, तहसील- शिवगंज के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी खंगाराराम पुत्र नरसाजी, जाति- मीणा को ग्राम खेजडिया के खसरा संख्या 362/7 रकबा 15 बीघा किस्म बंजर भूमि का किया गया आवंटन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थी तहसीलदार, शिवगंज ने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि मौके पर आवंटित भूमि पर किसी भी प्रकार का आवंटन समय से कब्जा काश्त नही रहा है एवं खसरा संख्या 362 कुल रकबा 333 बीघा एक चक है जिसका उपयोग ग्रामवासी खेजडिया द्वारा ओरण स्थित महादेव जी मंदिर के लिये भूमि सुरक्षित रखी गई है जो वर्तमान में पशु चराई में काम आ रही है। आवंटि ने आवंटन शर्तो की पालना नही की है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी खंगाराराम को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी खंगाराराम को जारी नोटिस इस रिपोर्ट के साथ अदम तामिल प्राप्त हुआ कि खंगाराराम पुत्र नरसाजी, जाति-मीणा नाम का व्यक्ति ग्राम वेराजेतपुरा में रहता था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार ने अनुरोध किया कि उक्त भूमि का अप्रार्थी खंगाराराम को किया गया आवंटन निरस्त कराने हेतु पूर्व में तहसीलदार, शिवगंज द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो इस न्यायालय में राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 7/1994 पर दर्ज रजिस्टर होकर प्रकरण में दिनांक 24.2.1995 हो चुका है। तत्पश्चात् तहसीलदार, शिवगंज द्वारा उक्त नियम के तहत पुनः इस न्यायालय में अप्रार्थी के विरुद्ध आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो राजस्व निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 42/2003 पर दर्ज होकर प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 08.9.2003 के अनुसार प्रकरण Resjudicata की श्रेणी में आने से तहसीलदार, शिवगंज का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ....लगातार	

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

राजस्व निगरानी संख्या: 12/2016

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री खंगाराराम पुत्र नरसाजी मीणा को ग्राम खेजडिया, पटवार हल्का केसरपुरा के खसरा संख्या 362/7 रकबा 15 बीघा किस्म बंजर भूमि का किया गया आवंटन निरस्त कराने हेतु तहसीलदार, शिवगंज ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी खंगाराराम के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि श्री खंगाराराम पुत्र नरसाजी मीणा को ग्राम खेजडिया के खसरा संख्या 362 रकबा 15 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त कराने हेतु पूर्व में तहसीलदार, शिवगंज द्वारा इस न्यायालय में अप्रार्थी खंगाराराम पुत्र नरसाजी मीणा के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र: 7/94 में पारित निर्णय दिनांक 24.2.1995 के अनुसार आवंटन बहाल रखा गया है। तत्पश्चात् तहसीलदार, शिवगंज द्वारा उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी खंगाराराम पुत्र नरसाजी मीणा के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत पुन: इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा राजस्व निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या: 42/2013 में पारित निर्णय दिनांक 08.9.2003 के अनुसार तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि के संबंध में इस न्यायालय द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या: 7/1994 में दिनांक 24.2.1995 तथा राजस्व निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या: 42/2003 में दिनांक 08.9.2003 को निर्णय हो चुका है। ऐसी स्थिति में, तहसीलदार, शिवगंज का यह प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा- 11 के अनुसार ''पूर्व न्याय का सिद्धान्त'' (Resjudicata) की श्रेणी में आता है। अत: तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (जवाहर चौधरी) अति. जिला कलेक्टर, सिरोही	